राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 1255 / 2016 / आबकारी / श्रीगंगानगर.

आरूषि भनोत पुत्री श्री राजेन्द्र भनोत
निवासी मकान नं0 117 सेक्टर 7 पंचकुला (हरियाणा)
जरिये पॉवर ऑफ एटॉर्नी होल्डर प्रशांत कुलश्रेष्ठ पुत्र
श्री महेशचन्द्र मकान नं0 सी–29, सी–स्कीम, जयपुर. ......प्रार्थिया.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर.
2. जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर. ....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक ......प्रार्थिया की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ......अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18 / 08 / 2017

निर्णय

1. प्रार्थिया द्वारा यह निगरानी आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के प्रकरण संख्या प.29(बी)(01)अपील / आब / 2015 / 39 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.01.2016 के विरूद्ध आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9ए के तहत प्रस्तुत की गयी है। आबकारी आयुक्त ने उक्त आदेश से जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.03.2014 की पुष्टि की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2014–15 के लिये भा.नि.वि.म. / बीयर दुकानात हेतु आवेदन किया गया था तथा साथ ही प्रार्थिया की माताजी श्रीमती पंकज भनोत पत्नी श्री राजेन्द्र भनोत द्वारा भी आवेदन किया गया। आबकारी विभाग द्वारा दुकान आवंटन हेतु दिनांक 20.02.2014 को निकाली गई लॉटरी में उक्त मां बेटी दोनों के नाम दुकानों की लॉटरी निकल गयी। इस पर आबकारी निरीक्षक वृत–सूरतगढ़ ने उक्त दुकानें मां–बेटी के नाम से आवंटित होने तथा प्रार्थिया आरूषि भनोत अविवाहित होकर अविभाजित हिन्दू परिवार की सदस्या होने की रिपोर्ट की, तब जिला आबकारी अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जरिये आदेश दिनांक 31.03.2014 द्वारा प्रार्थिया का आवेदन निरस्त किया गया एवं अमानत राशि के रूप में जमा राशि रूपये 7,00,000 / – राजसात किये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, आबकारी आयुक्त के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 29.01.2016 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.................2

3. बहस के दौरान प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2014—15 की आबकारी नीति में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि एक ही परिवार के दो अलग—अलग सदस्य आवेदन नहीं कर सकते। आबकारी नीति में अविभाजित हिन्दू परिवार (HUF) सम्बन्धी किसी प्रकार के दिशानिर्देश उल्लेखित नहीं हैं। प्रार्थिया का परिवार HUF के तहत रजिस्टर्ड नहीं है एवं ना ही प्रार्थिया HUF की सदस्या है। स्वयं की व्यक्तिगत हैसियत से दुकान हेतु आवेदन किया गया था एवं नियमानुसार वांछित समस्त कार्यवाही सम्पादित की गयी थी। जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार अमानत राशि विभाग में जमा करवाई गई थी। प्रार्थिया की माताजी एवं स्वयं के पृथक—पृथक पैनकार्ड हैं एवं वे पृथक—पृथक व्यवसाय करने हेतु स्वतंत्र हैं। अग्रिम कथन किया कि एक परिवार एवं HUF के एक ही सदस्य को दुकान आवंटित करने के सम्बन्ध में दिनांक 18.02.2014 को आदेश जारी किये गये हैं, जबकि इस तिथि से पूर्व ही आवेदन की समस्त प्रक्रिया सम्पन्न की जा चुकी थी। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् शर्तों में परिवर्तन हो जाने के आधार पर प्रार्थिया का आवंटन निरस्त करते हुए अमानत राशि को राजसात किया जाना किसी भी प्रकार विधिक एवं न्यायसम्मत नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार **"यदि किसी आवेदक को अपात्र माना जाता है तो आवेदन शुल्क के अलावा उसके द्वारा जमा कराई गई सारी राशि चाहे वह अर्नेस्ट मनी हो या धरोहर राशि या लाईसेंस फीस, वह लौटाने जाने योग्य है।"** परन्तु प्रार्थिया द्वारा जमा करवाई गई लाईसेंस फीस को राजसात किया गया है जो विधिक त्रुटि है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि जिला आबकारी अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थिया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ही एकतरफा आदेश दिनांक 31.03.2014 पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि किये जाने में आबकारी आयुक्त द्वारा त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थिया की निगरानी स्वीकार करते हुए राजसात की गयी अमानत राशि को मय ब्याज लौटाये जाने के आदेश किये जाने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने जिला आबकारी अधिकारी व आबकारी आयुक्त के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रार्थिया HUF की सदस्या होने के कारण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रार्थिया का आवेदन निरस्त करते हुए अमानत राशि को राजसात किया गया है वह विधिसम्मत है। कथन किया कि प्रार्थिया द्वारा मां—बेटी दोनों के नाम से आवंटन के तथ्य को छिपाते हुए लाईसेंस प्राप्त किया गया है, जो नियमानुसार अनुज्ञेय नहीं होने के कारण प्रार्थिया का आवेदन निरस्त किया गया

लगातार................3

है। इसी प्रकार आबकारी आयुक्त द्वारा भी प्रार्थिया की अपील अस्वीकार की जाकर जिला आबकारी अधिकारी के आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया न्यायोचित है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थिया की निगरानी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया एवं उसकी माताजी श्रीमती पंकज भनोत पत्नी श्री राजेन्द्र भनोत द्वारा आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 2014—15 के लिये भा.नि.वि.म./बीयर दुकानात हेतु आवेदन किया जाने पर उक्त दोनों के नाम से लॉटरी निकलने के फलस्वरूप दोनों को दुकानों का आवंटन किया गया एवं तब दोनों ने लाईसेंस प्राप्त कर अमानत राशि जमा करवा दी। परन्तु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मां—बेटी को HUF/एक परिवार का सदस्य मानते हुए केवल एक ही दुकान का आवंटन का पात्र माना गया तथा प्रार्थिया के आवेदन को निरस्त करते हुए जमा करवाई गई लाईसेंस फीस को राजसात कर लिया गया। जिला आबकारी अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 31.3.2014 को दो पृथक—पृथक आदेश पारित किये गये थे, जिसमें प्रार्थिया को आवंटित की गई दुकान का आवंटन रद्द किया गया एवं दूसरे आदेश में प्रार्थिया की अमानत राशि एवं जमा करवाई गई लाईसेंस फीस केवल रूपये 7,00,000/— को राजसात किया गया है। आवंटन निरस्तीकरण के आदेश क्रमांक 1254 दिनांक 31.03.2014 में दुकान आवंटन को निरस्त किये जाने का आधार आबकारी मद्य एवं संयम नीति के बिन्दु संख्या 4.1 लिया गया है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन नहीं किया जाना बताया गया है, साथ ही आबकारी आयुक्त द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3796 दिनांक 18.02.2014 में प्रदत्त निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 को भी आधार मानते हुए उसके अनुसार किसी भी HUF को एक से अधिक दुकान का आवंटन नहीं किया जाना बताया गया है। इसके बाद प्रार्थिया एवं उसकी माता दोनों को हिन्दु अविभाजित परिवार (HUF) का सदस्य होने के कारण एवं विभागीय दिशा—निर्देशों के बिन्दु संख्या 12 के अनुसार प्रार्थिया कुमारी आरूषि भनोत का आवंटन निरस्त किया गया है। इस दुकान निरस्तीकरण के पश्चात् आदेश संख्या 1261 दिनांक 31.3.2014 के जरिये पुनः दिशा—निर्देशों के बिन्दु संख्या 12 के तहत अमानत राशि रूपये 7,00,000/— को राजसात किया गया है। उक्त दोनों आदेशों में जो विधिक आधार दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में व्याख्या या विवेचन किया जाना उचित होगा कि क्या इन बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थिया की दुकान का आवंटन निरस्त किया जा सकता है अथवा नहीं एवं क्या उनके

लगातार................4

द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त की जा सकती थी अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में मद्य एवं संयम नीति के बिन्दु संख्या 4.1, आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों का बिन्दु संख्या 5 एवं अनुज्ञापत्र आवेदन के सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा जारी दिशा—निर्देश एवं शर्त संख्या 12 का उद्धरण किया जाना उचित होगा :—

<u>आबकारी एवं मद्य—संयम नीति वर्ष 2014—15</u>

4.1 बन्दोबस्त प्रक्रिया :—

वर्ष 2014—15 के लिये आवेदन आमंत्रित कर भा.नि.वि.म./बीयर की दुकानों का बन्दोबस्त किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व की भांति जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाटरी निकाल कर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन नहीं किया जायेगा।

<u>आबकारी आयुक्त द्वारा मद्यसंयम नीति में दिये गये प्रावधान—एक व्यक्ति को एक से अधिक समूह आवंटन नहीं करने सम्बन्धी शर्त का बिन्दु संख्या 5.</u>

किसी भी हिन्दू अविभाजित परिवार को एक से अधिक देशी/भा.नि.वि.म./बीयर दुकान का आवंटन नहीं किया जायेगा और न ही ऐसे किसी हिन्दु अविभाजित परिवार को एक से अधिक डोडा पोस्त उपभोग एवं उत्पादन क्षेत्र हेतु निर्धारित संयुक्त समूह का आवंटन किया जायगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत से पृथक से आवेदन करने पर भी उसे हिन्दु अविभाजित परिवार का ही हिस्सा माना जायेगा और पृथक से कोई आवंटन नहीं किया जायेगा।

<u>वर्ष 2014—15 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की रिटेल आफ दुकानों के अनुज्ञापत्र आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तें — बिन्दु संख्या 12.</u>

12. एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकान हेतु आवेदन करता है तथा एक से अधिक दुकान हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे उसके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार दुकान आवंटित कर दी जायेगी तथा शेष दुकानों का आवंटन आरक्षित सूची में से वरिष्ठता के क्रम में किया जायेगा। एक से अधिक दुकानों के आवंटन की सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। एक से अधिक दुकानों के आवंटन की सूचना विभाग को नहीं देने पर इसे आवेदन आमंत्रण शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिये एक से अधिक दुकान हेतु आवेदक का चयन/स्वीकृति निरस्त कर उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि/लाईसेंस फीस जप्त कर ली जायेगी।

लगातार................5

7. इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह थी कि दुकान आवंटन हेतु प्रक्रिया दिनांक 14.02.2014 को प्रारम्भ होकर दिनांक 20.02.2014 को समाप्त हुई। उस समय अर्थात् आवेदन—पत्र प्रस्तुत करते समय आबकारी एवं मद्य—संयम नीति वर्ष 2014—15 के बिन्दु संख्या 4.1 में केवल यह शर्त थी कि एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन नहीं किया जायेगा। इस बिन्दु पर यह स्पष्ट है कि इस मामले में यह बिन्दु लागू नहीं होता क्योंकि इस प्रकरण में एक व्यक्ति को दो दुकान आवंटन नहीं होकर एक परिवार के दो अलग—अलग व्यक्तियों को दुकान आवंटित की गयी थी। ऐसी स्थिति में इस शर्त का कोई उल्लंघन कारित नहीं हुआ है।

8. विवादित आदेश में दिनांक 18.02.2014 के निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार किसी हिन्दू अविभाजित परिवार को एक से अधिक दुकान का आवंटन नहीं करने सम्बन्धी जो उल्लंघन किया गया है वह इस प्रकरण में लागू किया जाना भी उचित नहीं है क्योंकि यह निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 18.02.2014 को जारी किये गये थे जो कि दुकान आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद के निर्देश हैं अतः इस आधार पर भी प्रार्थी द्वारा कोई दोष कारित नहीं किया गया है। इसके अलावा विवादित आदेश में 2014—15 की आबकारी नीति के बिन्दु संख्या 12 में भी एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकानों का आवंटन नहीं करने सम्बन्धी निर्देश हैं एवं एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक दुकानों के आवंटन करने की स्थिति में एवं एक से अधिक दुकानों के चयन होने पर इस प्रकरण में केवल एक दुकान ही रखे जाने की सूचना देने की जिम्मेदारी रखी गयी है परन्तु इस प्रकरण में पुनः एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान प्राप्त नहीं हुई थी बल्कि एक परिवार के दो व्यक्तियों को अलग—अलग दुकानें आवंटित की गयी थी ऐसी स्थिति में उपरोक्त तीनों ही बिन्दुओं पर जिसके आधार पर दुकान का निरस्तीकरण किया गया था वह प्रार्थी पर लागू नहीं होते थे परन्तु चूंकि प्रार्थिया की दुकान का आवंटन निरस्त किया जा चुका है एवं अवधि भी समाप्त हो चुकी है तथा प्रार्थिया द्वारा भी केवलमात्र यह आवेदन किया गया है कि उनके द्वारा जमा कराई गई राशि उन्हें लौटाई जावे। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसके द्वारा विधिसम्मत रूप से जमा कराई गई राशि को नहीं लौटाने का कोई विधिक आधार नहीं था। इसके बावजूद भी दिनांक 31.03.2014 के आदेश संख्या 1261 के जरिये एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन मानते हुए एवं उसकी सूचना नहीं देने के आरोप में अमानत राशि एवं लाईसेंस फीस रूपये 7,00,000/— को राजसात किया गया है वह विधि के विरूद्ध होने से उक्त

लगातार................6

राजसात किये जाने वाले जिला आबकारी अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.03.2014 एवं आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के आदेश दिनांक 29.01.2016 को अपास्त किया जाता है एवं उक्त राशि मय ब्याज लौटाने के आदेश किये जाते हैं।

9. दुकान निरस्तीकरण का आदेश संख्या 1254 दिनांक 31.03.2014 के जरिये जो दुकान आवंटन निरस्त किया गया था वह अवधि समाप्त हो जाने की वजह से प्रकरण सारहीन हो चुका है। फलतः इस बिन्दु पर निगरानी खारिज की जाती है।

10. परिणामस्वरूप उपरोक्तानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया ।

18/8/17 18/8/2017

(मदन लाल मालवीय) (के. एल. जैन)
सदस्य सदस्य